न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

प्र0सं0. 07/2026
स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी, हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम

प्रदीप सिंह पुत्र जगतार सिंह गुरूनानक स्वीट्स, नजदीक फतेहगढ़ मोड़, हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़

अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थितः– 1 प्रवर्तन अधिकारी स्वयं।
2 अप्रार्थी स्वयं।

–:निर्णयः–

दिनांकः –30.04.2026

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 12.03.2026 को जिला रसद अधिकारी, मय प्रवर्तन स्टॉफ हनुमानगढ़ द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक उपयोग/कालाबाजारी की जांच बाबत् गुरूनानक स्वीट्स, नजदीक फतेहगढ़ मोड़, हनुमानगढ़ टाउन पर पहुंच कर जांच की गई। मौके पर उपस्थित प्रदीप सिह पुत्र जगतार सिंह जाति सैनी निवासी नई आबादी, हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़ ने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक बताया तथा मौके पर उपस्थित रहकर जांच करवायी। जांच के दौरान एक घरेलू गैस सिलेण्डर बर्नर से जुडा पाया गया तथा एक अन्य घरेलु गैस सिलेण्डर बिना उपयोग का रखा पाया गया। मौके पर 02 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर बर्नर से जुडे पाए गए तथा दो अन्य व्यावसायिक गैस सिलेण्डर बिना उपयोग के रखे पाए गए। उक्त पाए गए 04 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों के संबंध में बिल /डायरी बाबत पूछने पर श्री प्रदीप सिह द्वारा बिल/डायरी नहीं होना बताया तथा कहां से उक्त गैस सिलेण्डर रिफिल करवाये है इसके भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त प्रतिष्ठान में मिठाई बनाने व बेचने का व्यावसायिक कार्य किया जाता है तथा विक्रय की गई सामग्री का मूल्य वसूल किया जाता है। इस प्रकार घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग तथा अवैध रखना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा 04 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर कुल 06 एलपीजी सिलेण्डर जब्त किए गए तथा उक्त जब्तशुदा सिलेण्डर श्री सौरभ छाबडा पुत्र श्री ओमप्रकाश छाबडा जाति अरोडा श्रीबालाजी गैस एजेन्सी हनुमानगढ़ टाउन की सुपुर्दगी में दिए गए। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डर तथा 04 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर कुल 06 एलपीजी सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश फरमावे तथा विस्फोटक सामग्री होने के कारण अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमाने का श्रम करावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6 बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आये।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

अप्रार्थी ने बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि प्रार्थी गुरुनानक स्वीटस नजदीक फतेहगढ़ मोड़ हनुमानगढ़ टाउन से दुकानदारी करता है आपके विभाग द्वारा प्रार्थी के दो घरेलू गैस सिलेन्डर व 4 व्यवसायिक एल०पी०जी० गैस सिलेन्डर जब्त किये गये है। प्रार्थी घरेलू गैर सिलेम्डर का उपयोग केवल अपने स्टाफ के खाना बनाने के लिये उपयोग करता है तथा 4 व्यवसायिक गैस सिलेन्डरों के प्रार्थी के पास बिल है। प्रार्थी ने कभी भी गैस सिलेन्डरो का दुरुपयोग नहीं किया है। प्रार्थी के गैस सिलेन्डर जब्त होने से प्रार्थी की दुकानदारी में बड़ा नुकसान हो रहा है। अतः जवाब पेश कर निवेदन किया कि जब्त किये गये दो घरेलू गैस सिलेन्डर व 4 व्यवसायिक गैस सिलेन्डर प्रार्थी को वापिस दिलाये जावें

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा तलाशी के दौरान उक्त प्रतिष्ठान में मिठाई बनाने हेतु 02 घरेलु गैस सिलेण्डर तथा 04 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर कुल 06 एलपीजी सिलेण्डर उपयोग में लिये जा रहे थे। जब्तशुदा घरेलू सिलेण्डर उपयोग में लिये जा रहे थे, घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग तथा अवैध रखना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण उक्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डर तथा 04 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर कुल 06 एलपीजी सिलेण्डर राजसात किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि:—

1. प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर तथा 04 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर कुल 06 एलपीजी सिलेण्डर जब्त किये हुये हैं, यह अप्रार्थी द्वारा स्वीकार किया है। जब्तशुदा घरेलू सिलेण्डर व्यवसायिक उपयोग में लिये जा रहे थे, जब व्यावयायिक सिलेण्डरों को ही व्यवसाय में उपयोग किये जा सकते हैं। घरेलू सिलेण्डर अनाधिकृत रूप से अप्रार्थी द्वारा उपयोग किया जा रहा था। जब्तशुदा घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक में उपयोग करना गैर कानूनी है। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लघंन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।
2. अप्रार्थी द्वारा जब्त 04 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर के सम्बध में एस.सी.एस इन्डेन गैस एजेंसी के बिल नं. 20260301 दिनांक 02.03.2026 एवं 20260303 दिनांक 06.03.2026 द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान के नाम से कुल 7 गैस सिलेण्डर क्रय करने के बिल पेश किया है। जिससे स्पष्ट है की अप्रार्थी व्यावयायिक सिलेण्डरों को व्यवसाय में ही उपयोग कर रहा था।

अतः इस न्यायालय में दर्ज धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रकरण में जब्तशुदा 04 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (खाली) को जब्ती से बागुजार (मुक्त) किया जाता है तथा जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (1 इण्डेन कम्पनी, 1 भारतगैस कम्पनी कुल गैस की मात्रा 19.9 किग्रा) को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ